

**HARYANA GOVERNMENT
COOPERATION DEPARTMENT
INDEX**

Sr.No.	Date of Notification	Brief contents of notification	Page No.
1.	14 th August, 1996	Haryana State Cooperative (Group A) Service Rules, 1996 (English version)	2-14
2.	14 th August, 1996	Haryana State Cooperative (Group A) Service Rules, 1996 (Hindi version)	15-28

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
COOPERATION DEPARTMENT
Notification

The 14th August, 1996

No. G.S.R. 69/Const./Art. 309/96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Cooperative (Group A) Service, namely :—

PART I—GENERAL

1. (1) These rules may be called the Haryana State Cooperative (Group A) Service Rules, 1996.

Short title.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

Definition.

- (a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;
- (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an officer already in the service of the Government of India or any State Government ;
- (c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;
- (d) "institutions" means,—
- (i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or
- (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;
- (e) "recognised university" means,—
- (i) any university incorporated by law in India;
- or
- (ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Panjab, Sind or Dacca University; or
- (iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules; and
- (f) "Service" means the Haryana State Cooperative (Group A) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in the number of each such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

- (a) a citizen of India ; or
- (b) a subject of Nepal ; or
- (c) a subject of Bhutan ; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, unless he produces a Certificate of character from the Principal Academic Officer of the University, College, School or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, who is less than 21 years or more than 35 years of age on or before the last date of submission of application to the Commission :

Provided that in case of of Deputy Chief Auditor, Cooperative Societies, the maximum age limit will be 45 years.

Appointing Authority.

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by Government.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in Column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of person appointed otherwise than by direct recruitment :

Qualifications.

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and physically handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,—

Disqualifications.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and that other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,—

Methods of Recruitment.

(a) in the case of Chief Auditor Cooperative Societies,—

(i) by promotion from amongst Joint Registrar, Cooperative Societies or Joint Chief Auditor, Cooperative Societies ; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) in the case of Additional Registrar, Cooperative Societies,—

(i) by promotion from amongst Joint Registrar, Cooperative Societies or Joint Chief Auditor Cooperative Societies ; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

- 4-
- (c) in the case of Joint Registrar Cooperative Societies,—
- (i) by promotion amongst the Deputy Registrar, Cooperative Societies or Principal, Centre of Cooperative Management, Rohtak ; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (d) in the case Joint Chief Auditor, Cooperative Societies,—
- (i) by promotion amongst the Deputy Chief Auditor, Cooperative Societies ; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (e) in the case of Deputy Registrar, Cooperative Societies,—
- (i) 66⅔% by promotion from amongst the Assistant Registrar, Cooperative Societies, Tanning and Leather Expert or Statistical Officer ; and
 - (ii) 33⅓% by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in service of any State Government or the Government of India;
- (f) in the case of Principal, Centre of Cooperative Management, Rohtak,—
- (i) 66⅔% by promotion from amongst the Assistant Registrar, Cooperative Societies, Tanning and Leather Expert and Statistical Officer ; and
 - (ii) 33⅓% by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (g) In case of Deputy Chief Auditor, Cooperative Societies,—
- (i) 66⅔% by promotion from amongst the Audit Officer, Cooperative Societies ; and
 - (ii) 33⅓% by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(2) All promotions unless otherwise provided shall be made by selection on the basis of seniority-cum-merit and no person shall have any right to be promoted on the basis of seniority alone.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise :

Probation.

Provided that—

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation, on a corresponding or a higher post, shall count towards the period of probation.
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service, may, in the case of any appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work and conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
- (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—
 - (i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority. *Inter se* of the members of the Service, shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under—

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana;
- (ii) the Central Government or a Company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislators.

Pay, leave,
pension and other
Matters.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time :

Discipline,
Penalties and
appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under Article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Vaccination.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Oath of
allegiance.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Power of
relaxation.

18. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time:

Reservations.

Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

19. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Special
provisions.

20. The Punjab Provisional Cooperative Services Class-I Rules, 1950 are hereby repealed :

Repeal and
Savings.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

1948

HAANA GOVT GAZ., SEPT. 10, 1996
(BHDR. 19, 1918 SAKA)

APPENDIX A

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of Posts	Number of Posts			Scale of pay
		Perma- nent	Tempo- rary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Chief Auditor, Co-operative Societies	1	..	1	Rs. 3,000—100—3,500—125— 5,000
2	Additional Registrar, Co-operative Societies	1	2	3	Rs. 3,000—100—3,500—125— 5,000
3	Joint Registrar, Co-operative Societies	..	2	2	Rs. 3,000—100—3,500—125— 4,500
4	Joint Chief Auditor, Co-operative Societies	..	1	1	Rs. 3,000—100—3,500—125— 4,500
5	Deputy Registrar, Co-operative Societies	5	3	8	Rs. 2,200—75—2,800—EB— 100—4,000
6	Principal, Centre of Co-operative Management, Rohtak	1	..	1	Rs. 2,200—75—2,800—EB— 100—4,000
7	Deputy Chief Auditor, Co-operative Societies	..	2	2	Rs. 2,200—75—2,800—EB— 100—4,000

Appendix B
(See rule 7)

1	2	3	4
No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any for appointment other than by direct recruitment
1	Chief Officer, Cooperative Societies		(a) Bachelor's degree of a recognised University (b) having experience of atleast 2 years as Joint Registrar, Cooperative Societies or Joint Chief Auditor, Cooperative Societies ; and (c) must have passed higher diploma course in Cooperation from an institution recognised by the Government.
2	Additional Registrar, Cooperative Societies		(a) Bachelor's degree of a recognised University ; (b) having experience of atleast 2 years as Joint Registrar, Cooperative Societies or Joint Chief Auditor, cooperative Societies ; and (c) must have passed higher diploma course in Cooperation from an institution recognised by the Government.
3	Joint Registrar, Cooperative Societies		(a) Bachelor's degree of a recognised University ; (b) having experience of atleast 3 years as Deputy Registrar, Cooperative Societies or Principal, Centre of Cooperative Management Rohtak ; and (c) must have passed higher diploma course in Cooperation from an institute recognised by the Government.
4	Joint Chief Auditor Cooperative Societies		(a) Bachelor's degree of a recognised university ; (b) having atleast 3 years experience as Deputy Chief Auditor, Cooperative Societies
5	Deputy Registrar Cooperative Societies	(a) Second class post graduate degree in Arts	(a) Bachelor's degree of a recognised university ; and

1950

HARYANA GOVT GAZ., SEPT. 10, 1996
(BHDR. 19, -1918 SAKA)

- (b) having atleast 3 years experience as Assistant Registrar, Cooperative Societies, Tanning and Leather Expert or Statistical Officer
- (b) Five years administrative experience in a Development Department.
- 6 Principal, Centre of Cooperative Management Rohtak.
- (a) Second class post-graduate degree in Arts/Science/Commerce or a first class bachelor's degree in Arts/Science/Law/Business Management of a recognised university ;
- (a) Bachelor's degree of a recognised university ; and
- (b) having atleast 3 years experience as Assistant Registrar, Cooperative Societies, Tranning and Leather Expert or Statistical officer.
- 7 Deputy Chief Auditor, Cooperative Societies
- (a) Chartered Accountant or Indian Cost and Works Accountancy (ICWA) with 2 years experience in a company of repute or M. Com. Hnd. Division with 10 years experience out of which 5 years at a managerial level in a Company/Organisation of repute.
- (a) Bachelors degree of a recognised University.
- (b) having at least 3 years experience as Audit Officer, Cooperative Societies.

APPENDIX C

[See rule 44(1)]

Sr. No.	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
I. Minor Penalties:					
1	Chief Auditor, Co-operative Societies	Government	(i) Warning with a copy in the personal file (character roll) ;	Administrative Secretary of the Department	Government
			(ii) censure;		
2	Additional Registrar, Co-operative Societies		(iii) withholding of promotion ;		
3	Joint Registrar, Co-operative Societies		(iv) recovery from pay of the whole or Part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individual whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by the Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and		
4	Joint Chief Auditor, Co-operative Societies				
5	Deputy Registrar, Co-operative Societies				
6	Principal, Centre of Co-operative Management, Rohtak				
	Deputy Chief Auditor, Co-operative Societies		(v) withholding of increments of pay, without cumulative effect ;		
2. Major Penalties:					
			(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect ;		

1952

HARYANA GOVT. GAZ., SEPT. 10, 1996
(BHDR. 19, 1918 SAKA)

1	2	3	4	5	6
			<p>(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;</p>		
			<p>(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;</p>		
			<p>(ix) compulsory retirement ;</p>		
			<p>(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;</p>		
			<p>(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.</p>		

APPENDIX D

[See rule 14 (2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Chief Auditor, Co-operative Societies	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Government	..
2	Additional Registrar, Co-operative Societies	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		
3	Joint Registrar, Co-operative Societies			
4	Joint Chief Auditor, Co-operative Societies			
5	Deputy Registrar, Co-operative Societies			
6	Principal, Centre of Co-operative Management, Rohtak			
7	Deputy Chief Auditor, Co-operative Societies			

RAJNI RAZDAN,

Commissioner and Secretary to Government,
Haryana, Co-operation Department.

HARYANA GOVT GAZ., SEPT. 10, 1996
(BHDR. 19 1918 SAKA)

1927

हरियाणा सरकार

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 अगस्त, 1996

संख्या सा० का० नि० 69/संवि०/अनु० 309/96.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग (ग्रुप-क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग I—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा राज्य सहकारिता (ग्रुप-क) सेवा नियम, 1996, संक्षिप्त नाम कहे जा सकते हैं।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

- (क) "आयुक्त" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;
- (ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही जमे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;
- (ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;
- (घ) "संस्था" से अभिप्राय है,—
- (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई भी संस्था ; या
- (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;
- (ङ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—
- (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या
- (ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय ; या
- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ; और
- (च) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा सहकारिता विभाग (ग्रुप-क) सेवा।

भाग II—सेवा में भर्ती

3. सेवा में इतने-नियमों के परिशिष्ट "क" में बताए गए पद होंगे :

पदों की संख्या तथा उनका वर्णन।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात से पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के प्रतनिहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रियता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

- (क) भारत का नागरिक; या
- (ख) नेपाल की प्रजा; या
- (ग) भूटान की प्रजा; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जाम्बे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भाँति परिचित हों और—उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को था उससे पहले इक्कीस वर्ष की आयु से कम या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक हो :

परन्तु उप मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष होगी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेंगी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में

आयु ।
नियुक्ति प्राधिकारी ।
संवत्सर ।

तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे

8. कोई भी व्यक्ति,—

अयोग्यताएं।

(क) जिसने पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसा व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी—

भर्ती का ढंग।

(क) मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों की दशा में,—

(i) संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां या संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों की दशा में,—

(i) संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां या संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षक सहकारी समितियों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों की दशा में,—

(i) उपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां या प्रधानाचार्य, सहकारी प्रबन्ध केन्द्र, रोहतक में से पदोन्नति द्वारा; या

1930 HARYANA GOVT GAZ., SEPT. 10, 1996
(BHDR. 19, 1918 SAKA)

- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (घ) संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों की दशा में,—
- (i) उप मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (ङ) उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों की दशा में,—
- (i) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, चर्म शोधक तथा चर्म विशेषज्ञ तथा आंकड़ा अधिकारियों में से 66 $\frac{2}{3}$ प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (च) प्रधानाचार्य, सहकारी प्रबन्धक केन्द्र, रोहतक की दशा में —
- (i) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, चर्म शोधक तथा चर्म विशेषज्ञ या आंकड़ा अधिकारियों में से 66 $\frac{2}{3}$ प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (छ) उप मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों की दशा में,—
- (i) 66 $\frac{2}{3}$ प्रतिशत लेखा परीक्षक अधिकारी, सहकारी समितियों में से पदोन्नति द्वारा ; और
- (ii) 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
- (2) सभी पदोन्नतियों जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्षों की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिचीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुसूक्त या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिचीक्षा की अवधि की ओर गिनी जायेगी ;
 - (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिचीक्षा अवधि की ओर गिनी जा सकती है ; और
 - (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिचीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिचीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिचीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह—
- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और
 - (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या
 - (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करें ।
- (3) किसी व्यक्ति की परिचीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—
- (क) यदि उसकी राय या उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो—
 - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिचीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या
 - (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—
 - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे

1932

HARYANA GOVT GAZ., SEPT. 10 1936
(BHDR. 19, 1918 SAKA)

- उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में
ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व
नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करे ; या
- (ii) उसकी परिचीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश
कर सकता है जो वह परिचीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति
पर कर सकता था :

परन्तु परिचीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई
है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता ।

11. (1) सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार
सेवा काल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-
अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत
करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी
ज्येष्ठता निम्नलिखित ढंग से निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त
सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से
ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता
ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की
जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में,
उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अद्यतन ऐसे
सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पूर्व नियुक्ति में उच्चतर दर पर
वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो
उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि
सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से
ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का
साधित्व ।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा
उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने
के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त
किया जा सकता है :—

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं
जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, य

हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ;

(ii) केंद्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगठन या व्यक्ति- निकाय चाहे बहु नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केंद्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को सरकारी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाये गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जायें।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामलों।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर अथवासंशोधित सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अथवा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) अथवा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट (घ) में विनिर्दिष्ट है।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब भी किसी विशिष्ट या साधारण आदेश द्वारा सेवा निवेश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा।

टीका लगवाना।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा निधि अथवा स्वायत्त भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ली हो, ऐसा शपथ की अपेक्षा की जायेगी।

राजनिष्ठा की शपथ।

ढील देने की
शक्ति ।

17. जहाँ सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना
मानश्यक या उचित हो, धहाँ वह कारण लिखकर आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या
प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

आरक्षण ।

18. इन नियमों में की गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में
समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों,
भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को
दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी समय 50 प्रतिशत
से अधिक नहीं होगी ।

विशेष उपबन्ध ।

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति
आदेशों में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

निरसन तथा
ब्यावृत्ति ।

20. पंजाब प्रांतीय, सहकारिता सेवा श्रेणी-I नियम, 1950, इसके द्वारा
निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई
कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई
कार्रवाई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट क

(वेचिंग नियम-3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य लेखा परीक्षा, सहकारी समितियां	1	—	1	3,000—100—3,500—125— 5,000 रुपये
2	अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1	2	3	3,000—100—3,500—125— 5,000 रुपये
3	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	—	2	2	3,000—100—3,500—125— 4,500 रुपये
4	संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां	—	1	1	3,000—100—3,500—125— 4,500 रुपये
5	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	5	3	8	2,200—75—2,800—दक्षतारोध— 100—4,000 रुपये
6	प्रधानाचार्य, सहकारी प्रबन्ध केंद्र, रोहतक	1	—	1	2,200—75—2,800—दक्षतारोध— 100—4,000 रुपये
7	उप मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां	—	2	2	2,200—75—2,800—दक्षतारोध— 100—4,000 रुपये

1936

HARYANA GOVT GAZ., SEPT. 10, 1956
(BHDR. 19, 1918 SAKA)

परिशिष्ट—“ख”

(देखिए नियम-7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4

1	मुख्य लेखा परीक्षक सहकारी समितियां	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक ; (ख) संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, या संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; तथा (ग) हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सहकारिता में उच्चतर उपाधि—पत्र कोर्स अवश्य पास किया हो।
2	थपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक ; (ख) संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां या संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; तथा (ग) हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सहकारिता में उच्चतर उपाधि—पत्र कोर्स अवश्य पास किया हो।
3	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक ;

1	2	3	4
3	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां		(ख) उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां या प्रधानाचार्य, सहकारी प्रबन्ध केन्द्र, रोहतक, के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव ; तथा (ग) हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सहकारिता में हायर (उच्चतर) डिप्लोमा कोर्स अवधि प्राप्त किया हो । (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक ; (ख) उप मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव । (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक ; तथा (ख) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों या चर्म मोशन तथा चर्म विशेषज्ञ या आंकड़ा अधिकारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव ।
4	संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां ।		
5	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	(क) कला/विज्ञान/वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान/विधि कारोबार प्रबन्ध में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि ; (ख) विकास विभाग में 5 वर्ष का प्रशासकीय अनुभव । (क) कला/विज्ञान/वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान/विधि कारोबार प्रबन्ध में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि ; (ख) विकास विभाग में 5 वर्ष का प्रशासकीय अनुभव ।	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक ; तथा (ख) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों या चर्म मोशन तथा चर्म विशेषज्ञ या आंकड़ा अधिकारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव ।
6	प्रधानाचार्य, सहकारी प्रबन्धक केन्द्र, रोहतक		(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ; या (ख) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों या चर्म मोशन तथा चर्म विशेषज्ञ या आंकड़ा अधिकारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव ।
7	उप मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां	किसी उच्च शिक्षा प्राप्ति प्राप्त कक्षाओं में 2 वर्ष का अनुभव के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंडियन कास्ट एवं बैंक एकाउंटेंट्स (आई.सी. डब्ल्यू. ए.) या 10 वर्ष के अनुभव ग्रहित वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव किसी ख्याति प्राप्त कम्पनी/संगठन में प्रबन्धकीय स्तर का हो ;	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक ; (ख) लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो ।

परिशिष्ट ग

[विधि नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पद नाम	निम्नलिखित प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप	शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां	सरकार	1. छोटी शास्तियां—	विभाग का प्रशासकीय सचिव	सरकार
2	अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां		(i) धैर्यवित्त का फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;		
3	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां		(ii) परिनिष्ठा ;		
4	संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां		(iii) पक्षीकर्म रोकना ;		
5	अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां		(iv) अपील या आवेशों की उत्पत्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निर्गमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान सभल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विपक्ष-विद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन के वसूली ; और		
6	प्रधानाचार्य, सहकारी प्रबन्ध केंद्र, रोहतक		(v) संघी प्रभाव के निरा-वेतन, वृद्धियां रोकना ;		
7	अपर मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां		2. बड़ी शास्तियां—		
			(vi) संघी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना ;		

1	2	3	4	5	6
सरकार	<p>(vi) किसी विनिश्चित अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवकाशित ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवकाशित की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवकाशित की समाप्ति पर, ऐसी अवकाशित के अर्जित वेतन वृद्धियां अर्जित करने का प्रभाव रहेगी या नहीं ;</p>	विभाग का प्रशासकीय सचिव	सरकार		
	<p>(viii). निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवकाशित जो सरकारी कर्मचारी को उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवकाशित किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा, जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवकाशित किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उस की ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में अती सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ;</p>				
	<p>(ix) अतिरिक्त सेवा निवृत्ति ;</p>				
	<p>(x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अर्जित आनी नियोजन के लिए अयोग्यता नहीं होगी ;</p>				
	<p>(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अर्जित आनी नियोजन के लिए सामान्यतः अयोग्यता होगी ।</p>				

परिशिष्ट-ब

[द्वितीय नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के सशक्त अधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां	(i) पेशन - की नियमित करने वाले नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पेशन की शक्ति में कामी करेगा या रोकता ; (ii) उसकी अधिकारिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियमित की स्थापित ।	सरकार	—
2	अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां			
3	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां			
4	संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां			
5	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां			
6	प्रधानाचार्य, सहकारी प्रबन्ध केंद्र रोहतक			
7	उप मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां			

रजनी राजदान,
 आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
 सहकारिता विभाग ।